कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के सलंग्न ग्रुप–एफ के अनुरूप **व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विषय–राजनीति विज्ञान वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध एवं पूर्व वर्षो की रिव्यू हुई विभागीय पदोन्नति समिति** की अभिशंषा अनुसार चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित लिखे अनुसार अधिकारियों को पे–बेण्ड 9300–34800 पीबी.–2 ग्रेड़ पे 4800 में चयनित कर पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। तत्समय श्री मुकेश कुमार तेली निलंबित होने के कारण इनका पदस्थापन नहीं किया गया था । विभागीय जांच पर पूर्ण होने पर उनके पत्रांक शिविरा / माध्य / वि.जांच / 11175 / (एन– 51) 14 / 254–255 दिनांक 26.09.2017 से कार्यवाही पूर्ण करने एवं राज्य सेवा में बहाल किये जाने पर यह आदेश जारी किये जा रहे है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक / क–2 / 95 दिनांक 20.06.2001 (33 / 01) के प्रवधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी / प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान / नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त / कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक का नाम, वरेष्ठता क्रमांक / वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नही कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

क्र सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
01	3226	1997–98	मुकेश कुमार तेली	राउमावि नेवरिया राशमी–चित्तौडगढ	24.08.1971	2013–14	राउमावि सवाईपुर, कोटडी, भीलवाडा

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक 15.03.18 को सस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 16.03.18 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 17.03.2018 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / मा / संस्था / सी–7 / हिन्दी (महिला) / डीपीसी–पदस्थापन / 2013–15 दिनांक 14/3/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) / कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारंभिक / माध्यमिक)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक / प्रारंभिक) / प्रधानाचार्य डाईट / संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड़ कर कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होगें। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारंभिक) / प्रधानाचार्य डाईट / संस्था प्रधान दिनांक 15.03.18 एवं 16.03.18 को संबंधित सूचना निदेशालय को प्रेषित करने के लिये उत्तरदायी होगें।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
8. संबंधित अधिकारी / कार्यालय / संस्थाप्रधान
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता / गोपनिय प्रतिवेदन / विभागीय जांच

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर